न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19 / 2018 (राजसमन्द आर्डर)

रामनारायण पिता भूरा जी जाट, निवासी किशनपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनी पुत्री प्रताप जी पत्नी रतनलाल जी जाट, निवासी किशनपुरा हाल बाघपुरा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती मांगी पुत्री प्रताप जी पत्नी नेनालाल जी जाट, निवासी किशनपुरा हाल आकोदिया का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती रूकमणी पुत्री प्रताप जी पत्नी सुखलाल जी जाट, निवासी किशनपुरा हाल ओलना खेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. पटवारी हल्का लोढियाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 08.06.2017 प्र॰सं॰ 363 / 16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री डालचन्द जाट अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सी.एस. शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय दिनांक

22—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 9 रकबा 7.6400 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/3, प्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है एवं विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा होकर संयुक्त रूप से उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु विपक्षी संख्या 2 अजनवी व्यक्ति ने दिनांक 31—08—2016 को जरिये दान पत्र की आड़ में नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया है तथा मनकमसूद तरीके से जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है। विपक्षी संख्या 1 को बिना विधिवत विभाजन कराये विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में इस प्रकार का दान पत्र करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व भूमियों का विकय हस्तान्तरण नहीं करें।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि दान पत्र के आधार पर वह विवादित भूमियों में हक व अधिकार रखता है। अतः विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के नाम दर्ज किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने धोखे से दान पत्र निस्पादित करवा लिया है, जिसे निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा।

अतः विपक्षी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 08–06–2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08–06–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में कैम्प में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट का 3 माह बाद हुई, किन्तु अपीलान्ट बीमार होने से अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 08–06–2017 को लोक अदालत में निर्णय अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनकर उनकी उपस्थिति में पारित किया गया है, तद्नुसार निर्णय की जानकारी नहीं होने का जो आधार अपोलान्ट द्वारा लिया गया है, वह विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि लोक अदालत में सिर्फ पक्षकारों के आपसी राजीनामें के आधार पर ही निर्णय किये जाने का प्रावधान है। लोक अदालत में न तो अपीलान्ट उपस्थित था, न ही उनके अधिवक्ता। कोई भी व्यक्ति बिना विभाजन कराये अपना हिस्सा अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है, उसे किसी भी आदेश से रोका नहीं जा सकता। इस कारण उक्त आदेश से अपीलान्ट के पक्ष में हस्तान्तरित हिस्से उसके नाम दर्ज करने से रोकना नितान्त गलत है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड में विवादित भूमियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 प्रत्येक के नाम 1/3, 1/3 हिस्से से दर्ज है। उपरोक्त भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा अपीलान्ट मात्र अजमनी केता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिन्दु पर अपनी स्पष्ट फाईंडिंग देते हुए प्रार्थीगण अर्थात रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए मौके पर राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने स हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–06–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर